न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/76/रा.भू.अधि./05/2015/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. लाभू पुत्र हरा, जाति माली निवासी माडपुरासानी (कवास)	बनाम	1.देवाराम पुत्र तुलछाराम 2.लालाराम पुत्र तुलछाराम 3.ओमकारराम पुत्र वीरमाराम 4.छगनाराम पुत्र वीरमाराम 5.भीखा पुत्र वीरमाराम 6.चम्पा पत्नी वीरमाराम 7.प्रकाश पुत्र भूराराम 8.नीम्बा पुत्र भूराराम 9.धापु पत्नी भूराराम 10.हुकमा पुत्र दर्गाराम के का.मु. 10/1नैनु पत्नी स्व हुकमाराम उम्र 80 साल 10/2कुंभाराम पुत्र स्व0 हुकमाराम उम्र 51 साल 10/3ठाकराराम पुत्र स्व0 हुकमाराम उम्र 50 साल 11.मोती पुत्र तुलछा 12.आम्बा पुत्र चांदा जाति माली निवासी माडपुरा सानी तहसील तहसील व जिला बाड़मेर। 13.तहसीलदार बाड़मेर।
2. पेम्पो पुत्री हरा पत्नी करणाराम जाति माली निवासी शास्त्रीनगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर		

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व अपर कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 108/2012 बअनवान देवाराम वगैरा बनाम लाभु वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सज्जनसिंह भाटी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 12.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 288 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिल व खसरा संख्या 559/289 रकबा 114.15 बीघा मौजा माडपुरा सानी के खसरा संख्या 559/289 रकबा 114.15 बीघा में से रकबा 12 बिस्वा भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 1992

Scanned by CamScanner

के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष दिनांक 22.11.2006 को आवेदन पेश किया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक 3884 दिनांक 24.11.2006 द्वारा खसरा संख्या 559/289 में से रकबा 12 बिस्वा 1000 वर्ग मीटर भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी कर दिया। जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 ने अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 की अपील स्वीकार कर अपीलांटगण के पक्ष में पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.11.2006 को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्यों से परे जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात को दर किनार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता संख्या 01 से 10 द्वारा गलत तथ्यों का वर्णन कर उक्त अपील पेश की गई और अधीनस्थ न्यायालय ने भी विलम्ब के बिन्दु को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खसरा संख्या 559/289 में 12 बिस्वा भूमि बाबत पारित संपरिवर्तन आदेश में क्या अवैधता है? इसकी कोई विवेचना नहीं की है और सत्यता भी यही है कि वादगस्त भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य हिस्सो को लेकर विवाद है और संपरिवर्तन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। संपरिवर्तन आदेश के फार्म पर दस्तखत व अंगुष्ठ निशान किये थे, उसमें माडूदेवी, जो कि वर्ष 2005 में ही फौत हो गई थी का गलत ढंग से अगुष्ठ निशान कर उक्त संपरिवर्तन आदेश पारित करवाया जबकि उक्त तथ्य के संबंध में अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को संतुष्ट कर दिया गया था कि संपरिवर्तन फार्म पर माडूदेवी के जीवनकाल में व अन्य सहखातेदारान के वर्ष 2005 में ही अंगुष्ठ निशान करवा दिये गये थे लेकिन तत्सयम खातेदारान के मध्य सहमति नहीं बन पाने के कारण आगे कार्यवाही नहीं की गई और पुनः खातेदारान के मध्य वर्ष 2006 में सहमति बनी तो पूर्व में संपरिवर्तन फार्म पर खातेदारान के जो हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किये थे, के आधार पर संपरिवर्तन आदेश की पत्रावली पेश की गई। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता कारित नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 की अपील स्वीकार कर अपीलांटगण के पक्ष में पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 24.11.

Scanned by CamScanner

2006 को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्यों से परे जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात को दर किनार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ एवं विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष संपरिवर्तन आवेदन दिनांक 22.11.2006 को प्रस्तुत हुआ था। जिस आवेदन के साथ सह खातेदारों के फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान कर सहमति प्रस्तुत की गई उसमें से एक खातेदार माडी देवी पत्नी तुलसाराम जिसकी मृत्यु आवेदन पेश करने के 04 माह पूर्व दिनांक 17.07.2005 को मृत्यु हो चुकी थी। उसका अंगुष्ठ निशान आवेदन पर सहमति स्वरूप फर्जी कर दिया। तहसीलदार बाड़मेर ने लाभूराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बिना जांच किए ही केवल दो दिन में संपरिवर्तन के आदेश दे दिये। अपीलांट द्वारा पेश संपरिवर्तन आवेदन सदभाविक नहीं था। रेस्पोडेंट के फर्जी हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान थे, उन्हें एफएसएल के लिए भेजा गया। एफएसएल रिपोर्ट में अपीलार्थी लाभूराम द्वारा 12 बिस्वा भूमि के संपरिवर्तन के लिए किए गये आवेदन पर सहखातेदारों की सहमति के लिए कथित रूप से किए हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान फर्जी पाये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है, जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादग्रस्त कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजन (औधोगिक प्रयोजनार्थ) के लिए संपरिवर्तन हेतु तहसीलदार बाड़मेर के सम्मुख सहखातेदारों द्वारा आवेदन दिनांक 22.11.2016 को प्रस्तुत हुआ जो उस पर मार्किंग से स्पष्ट है। इसमें सहखातेदार माडी बेवा तुलसा का नाम भी अंकित होकर शामिल था और उसकी सहमति स्वरूप अंगुष्ठ निशान अंकित है। इस पर टी. आर. ए. की रिपोर्ट दिनांक 23.11.2006 को होकर मामले में तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष संपरिवर्तन आदेश हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हुआ। इस कार्यवाही में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदन पर विधि की मंशानुसार जांच कर ली गई है और आवेदन पर सहखातेदारों के मौलिक हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान सहमति के आशय से किये जा चुके है। अपीलांट का कथन कि माडीदेवी के हस्ताक्षर आवेदन पर पूर्व में ही कराये जा चुके थे, विधि सम्मत एवं मान्य नहीं है। उसकी सहमति आवेदन प्रस्तुति के समय विहित प्राधिकारी तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष होनी चाहिए थी। आवेदन प्रस्तुति से 01 वर्ष 04 माह पूर्व ही माडीदेवी की मृत्यु हो चुकी थी इसलिए आवेदन

Scanned by CamScanner

सद्भाविक नही था। वह आवेदन मृतका की तरफ से आवेदित होना नहीं पाया गया है। इसलिए अनियमितितापूर्ण आवेदन पर प्रदत्त संपरिवर्तन आदेश प्रारंभत विधिमान्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने गहन मनन करने के पश्चात विवेचनपूर्ण जो अपीलाधीन निर्णय दिया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 108/2012 बअनवान देवाराम वगैरा बनाम लाभु वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

12/7/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner